(14) (11)

12

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 78(1)अनु0प्रथम/ए/2002/डी-5152 दिनांक: 17.10.2002

: परिपत्र संख्या 11/2002 ::

विभाग के यह ध्यान में आया है कि कतिपय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्तागण ने अपने अधीनस्थ कार्यरत कनिष्ठ - अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर उनसे अन्यत्र स्थानों का कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है जिससे मूल स्थान पर चल रहे कार्यों की अनदेखी हो रही है। राज्य सरकार ने इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बड़ी गम्भीरता से लिया है।

अत: समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ताओं को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा इस प्रकार की गई प्रतिनियुक्ति के आदेशों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करें तथा भविष्य में उनके अधीन कार्यरत अभियन्ताओं को उनके मूल पदस्थापित स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति नहीं करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे एवं पालना की सूचना इस कार्यालय को तीन दिवस में प्रेषित करें।

17/10

(एच0 एल0 मीणा)
मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
2- निजी सचिव राज्य मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर
3- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन (समस्त)।
5- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त (समस्त)।
6- वरि0निजी सहा0मु0अ0/पथ/रा. उ. मा./अनु. प्रथम/ए/बी/एवं सो

मुख्य अभियन्ता, 17/10/2002
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।